

सख्या 2(54)/08-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी. एल.-XXVII/18

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग


लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक 23 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले कर्मचारियों को छठे सीपीसी वेतनमान पर 01.07.2018 से महंगाई भत्ते का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 तथा अनुबन्ध-III का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का अनुसरण करने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है।

- दिनांक 01.07.2018 से कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर मौजूदा 142% से बढ़ाकर 148% कर दी जाए।
- महंगाई भत्ते के लिए किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।
- ये दरें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनका वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2006 से संशोधित कर दिया गया है।
- भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।



(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
- भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दिनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
- शासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
- व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग।


(समसुल हक)
अवर सचिव